

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 42/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/217

अनवान

1. खेमा पिता देवा बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. लेहरू पिता देवा जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हेमा पिता छोगा जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता मांगु गाडरी निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतनलाल पिता शोभालाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - प्रार्थी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:- 4/12/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 101 में अंकित आराजी संख्या 1242 रकबा 0.22 है, आराजी संख्या 1749 रकबा 0.49 है, आराजी संख्या 1750 रकबा 1.24 है कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.95 है भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस संवत् 2076 से 2079 की पेश की है।
2. प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.07.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।
3. प्रार्थी के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वावजूद सम्यक् तागील विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 18.11.2025 को अगल में लाई गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील



राजस्थान उपखण्ड अधिकारी
(रायपुर, भीलवाड़ा)

रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 101 में अंकित आराजी संख्या 1242 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1749 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 1750 रकबा 1.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 101 में अंकित आराजी संख्या 1242 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1749 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 1750 रकबा 1.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2074-2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते हैं। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

::- आदेश -::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम गल्यावडी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 101 में अंकित आराजी संख्या 1242 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1749 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 1750 रकबा 1.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रुपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रुपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए वशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



आदेश आज दिनांक 4/12/2025 को सर-ए-इजलारा सुनाया गया।

(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर (स.डी.ओ.) रायपुर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर (स.डी.ओ.) रायपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 42/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/217

अनवान

1. खेमा पिता देवा बलाई निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. लेहरू पिता देवा जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हेमा पिता छोगा जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता मांगु गाडरी निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतनलाल पिता शोभालाल जाट निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

दिनांक:- 4/12/2025

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 4-12-2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम गल्यावड़ी पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 101 में अंकित आराजी संख्या 1242 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1749 रकबा 0.49 है0, आराजी संख्या 1750 रकबा 1.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.95 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 4/12/2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा
(तहसीलदार रायपुर)